

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4162

दिनांक 03/12/2025

उन्वानी प्रकरण - पवनकुमार..... बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुक्तमा संख्या - 283/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपथानागत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 20/भू.अ./2025 दिनांक 05/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम ~~दो. 101~~ ~~अ. 101~~ ~~पटवारी हल्का~~ ~~कल्याणपुरा~~ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 2, 22, 23 में खातेदार पवनकुमार पुत्र सुरजमानसिंह के स्थान पर पवनकुमार पुत्र सुरजमानसिंह नामक नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का ~~कल्याणपुरा~~ उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 03/12/2025

कमांक/रीडर/2025/4162-64

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाथ एव पालनाथ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनाथ।
2. पटवारी हल्का ~~कल्याणपुरा~~ (धार्ड) तहसील श्रीमाधोपुर को पालनाथ।

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)



2025/687  
2025  
10-10-25

ग्रामीण सेवा विभिन 2025  
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

आदेश ( शिविर स्थान - कल्याणपुर ) दिनांक - 02/10/2025

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का - कल्याणपुर जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख  
निरिक्षक वृत - शर्मा जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर तथा संलग्न दस्तावेज-  
आधार-काई, पहचान-पत्र, राशन-काई के ( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत ) राजस्व  
ग्राम - दाही माझरिया के खाता संख्या - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 44 में प्रार्थी का  
नाम - पवन कुमार पुत्र सुरजमान जाति - जाट के स्थान पर  
पवन कुमार पुत्र सुरजमान सिद्धि जाति - जाट दर्ज कर दुरुस्त  
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक:-

दिनांक:-

--:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिविर:- ..... दिनांक:- ...../...../..... को ( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,  
1956 की धारा:- 136 के अन्तर्गत ) राजस्व ग्राम:-..... पटवार हल्का:-  
.....तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-  
.....में खातेदार ..... पुत्र  
..... का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का:-  
.....उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

उप-खण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

संलग्न:- दुरुस्ति आदेश

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरिक्षक वृत:-..... को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का:- .....को पालनार्थ

उप-खण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर